



दूरभाष- 286709
286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक 1160 / 198 / तीन / 2012

दिनांक 30/6/17

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत अभिकरण के कार्यालय आदेश संख्या 2185/198/तीन/2014-15 दिनांक 25.08.2015 द्वारा श्री इन्द्रपाल कनौजिया, परियोजना निदेशक को अभिकरण का जनसूचना अधिकारी तथा अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत प्रथम अपील हेतु श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा को अभिकरण का प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था। श्री इन्द्रपाल कनौजिया, परियोजना निदेशक को अभिकरण की सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिये जाने के कारण एतद्वारा तत्काल प्रभाव से श्री अनूप बाजपेई, परियोजना अधिकारी, सूडा को अभिकरण मुख्यालय का जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है। जनसूचना अधिकारी, सूडा/डूडा के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई हेतु श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, अभिकरण के प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे।

2. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ में नामित जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से संबंधित विवरण निम्नवत है:-

जनसूचना अधिकारी

श्री अनूप बाजपेई,
परियोजना अधिकारी,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग,
लखनऊ दूरभाष- 8573004443

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री लाल प्रताप सिंह,
वित्त नियंत्रक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग,
लखनऊ दूरभाष- 0522-2286713

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, सचिव, नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
4. समस्त जनसूचना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
5. सहायक वेब मास्टर, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करायें।
6. निदेशक कैम्प/समस्त अधिकारी, सूडा मुख्यालय।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक